

कर्त्तीसगढ़ शासनसुविधा छत्तीसगढ़ रायपुर

निमित्त छाया शब्द, भीचा काटार टोड, लाकर बगट, रायपुर (छद्य)



रायपुर, दिनांक 02/ 2/ 2011

आदेश

क्रमांक / ३७ / 2010, बंधक श्रमिकों के पुर्नवास योजना के अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृति आबंटन में से जिला बिलासपुर के 462 बंधक श्रमिकों के पुर्नवास हेतु प्रति श्रमिक रूपये 10,000/- के मान से (केन्द्रांश) राशि रूपये 46,20,000/- (रु. छियालिस लाख बीस हजार मात्र) का आबंटन प्रदान किया जाता है।

उक्त राशि मांग संख्या—18, शीर्ष—2230 — श्रम और रोजगार, (01)—श्रम (112) बंधुआ मजदूरों का पुर्नवास, 0701 — केन्द्र प्रवर्तित योजना सम्बन्ध (2837) बंधक मजदूरों की पुर्नवास योजना के अंतर्गत विकलनीय होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओ. क्रमांक 13/30985/बी—1/4/2010, दिनांक 27.01.2011 द्वारा दी गई सहमति से जारी की जा रही है।

(श्रमायुक्त द्वारा अनुमोदित)

२.२.११

उप श्रमायुक्त (बंधक श्रम)

श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर

रायपुर, दिनांक

पृ. क्रमांक / 01 / ब.श्र. / ब.अ. / 2002

प्रतिलिपि :-

- प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग मंत्रालय रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ-4-53/2010/16, दिनांक 29.01.11 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर।
- संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- कलेक्टर, बिलासपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि यह राशि आहरण कर रूपये 10,000/- प्रति श्रमिक के मान से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत बंधक श्रमिकों के पुर्नवास संबंधी कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- कोषालय अधिकारी, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- सहायक श्रमायुक्त, बिलासपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
- लेखा शाखा (बजट) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- आदेश प्रकरण पत्रिका में संकलनार्थ।

सौ/-

उप श्रमायुक्त (बंधक श्रम)

श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर